## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
## पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 2007/00057 (27/2007)

1. रामचन्द्र
2. भादर राम

पिसरान स्व0 लाधूराम जाति मेघवाल निवासी कालीबंगा पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। –अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा

– रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध आदेश दिनांक 08.02.2007 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा अनवान रामचन्द्र वगैरा बनाम राजस्थान राज्य आदि प्र0 सं0 46/2006

श्री मोहन मुंजाल अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री रविन्द्र कुमार भोभिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांक:– 04.02.2021

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रार्थना–पत्र में अपीलाण्ट्स के पिता लाधूराम पुत्र मंगलूराम के नाम चक 4 पीबीएन के प0 नं0 55/319 का किला नं. 1 से 10 बीघा कृषि भूमि 1955 से पूर्व का रकबा राजस्व अभिलेख में दर्ज होना बताते हुए खातेदारी दिये जाने का अनुतोष मांगा। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट्स का प्रार्थना–पत्र पूर्णतः साबित नही होने के कारण खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि के सिद्धान्तों के विरूद्ध पारित किया गया है। प्रश्नगत भूमि लाधूराम की सन 1955 से खातेदारी होना बताया था। संवत 2012 की खसरा गिरदावरी व ढाल बाछ तथा जमाबन्दी प्रदर्शित की है, तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। तहसीलदार ने अपीलाण्ट का कब्जा होना वर्णित कर रिपोर्ट की है

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:57:07 IST
Reason: SelfAttested

खसरा गिरदावरी के संबंध में मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं। सूची नं. 4 के प्रस्तुत नही करने के आधार पर अपीलाण्ट्स का प्रार्थना–पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावें।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं उसका सपशथ खण्डन नहीं होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।
7. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण ने धारा 15 एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज किया है कि हाल जमाबंदी में दर्ज चक 4 पीबीएन के प0 नं0 55/319 किला नं. 1 ता 10 की 2.480 है0 है। यह पूर्णतः साबित नही होता क्योंकि प्रार्थी द्वारा सर्वे खसरा, सूची नं0 4 प्रस्तुत नही किया गया है। जमाबंदी भी प्रस्तुत नहीं की है जो कि मूल राजस्व रिकार्ड नहीं है। अपीलाण्ट/प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया है। अपील में भी अपीलाण्ट ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित हो। फलतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।
8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2007 यथावत रखा जाता है। रिकार्ड तहत का भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।
9. निर्णय आज दिनांक 04.02.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

4/2/21

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:57:07 IST
Reason: SelfAttested

(करतार सिंह पूनीयाँ आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ